

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ कवक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अन्तर्गत नगर विक्रय समिति, नगर परिषद्, बीहट द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्रम सं०	सेवाये	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीरा	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो रोवा में विलम्ब या गड़बड़ी हेतु सम्पर्क किये जा सकें
1	पंजीकरण	1. परिवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की छायाप्रति 4. मोबाईल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निःशुल्क	7 दिन	नगर मिशन प्रबंधक	नगर कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र काजारी करने हेतु	SULM बेवसाईट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निःशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबंधक	नगर कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
3	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	SULM बेवसाईट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निःशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबंधक	नगर कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
4	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु।	पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किये गये पंजीकरण के आधार पर	निःशुल्क	दो महीने के अन्दर	नगर मिशन प्रबंधक	नगर कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
5	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र Duplicate निर्गत करने हेतु।	नगर परिषद्, बीहट कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/- ₹०	7 दिन	नगर मिशन प्रबंधक	नगर कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

अध्यक्ष,

.....
नगर विक्रय समिति
नगर परिषद्, बीहट

Drum
28/11/2020
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् बीहट
बसौनी बेगूसराय